# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 73/2021 जिला सीकर

1. सुमेर पुत्र सीताराम जाति कहार, निवासी कहारों की ढाणी, बाजोर, तहसील व जिला–सीकर।
2. रामचन्द्र पुत्र पुरणमल जाति जांगिड, निवासी आश्रम विहार, कॉलोनी, जयपुर रोड, जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार जी सीकर, जिला–सीकर।
2. जिला कलेक्टर, सीकर।
3. ग्राम पंचायत बाजोर, जर्ये सरपंच तहसील व जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर सीकर दिनांक 17.12.2013

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बाद तामिल अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांक –01.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, सीकर के निर्णय दिनांक 17.12.2013 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रो के साथ दिनांक 29.12.2021 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

जिला कलक्टर सीकर ने तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी सीकर की अभिशंषा एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.10 (3) राज–6/2001 दिनांक 26.06.13 के अंतर्गत ग्राम बाजौर तहसील सीकर स्थित भूमि ख0नं0 625 रकबा 1.02 है0 किस्म सिवायचक (गै0मु0 टीबा) में से 0.51 है0 भूमि कब्रिस्तान हेतु ग्राम पंचायत, बाजौर को राज0 भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 92 के अंतर्गत आरक्षित कर कब्रिस्तान भूमि पर एक वर्ष की अवधि में चार दिवारी निर्माण किये जाने की शर्त पर तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में पेड–पौधे आदि लगाकर उसका बतौर कब्रिस्तान विकास करने की शर्त पर ग्राम पंचायत, बाजौर को सुपुर्द किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर तहसीलदार सीकर को निर्दशित किया कि संलग्न नक्शे में बरंग रेखांकित भूमि, का नामान्तरकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाने के आदेश दिये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला कलेक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 17.12.2013 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट सुमेर व अन्य द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 17.12.2013 निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।



Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम बाजौर तहसील सीकर स्थित भूमि ख0नं0 625 रकबा 0.51 है0 भूमि के दक्षिण में वन भूमि स्थित है एवं खसरा नम्बर 625 के उत्तर पूर्व व पश्चिम में खातेदारी की भूमियॉ है एवं उक्त टीबे की भूमि का रकबा मात्र 1.02 है0 है व उक्त भूमि कभी भी कब्रिस्तान के उपयोग उपभोग की नहीं रही है। आज दिवस तक भी उपयोग में नहीं आई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा कोई मौका देखे बिना आवंटन कर दिया गया है तथा आवंटन की शर्तो में भूमि के चारो ओर डंडा बनाने व पैड–पौधे लगाने की शर्तो का पालन नहीं किया है। खसरा नं0 625 जिसको नक्शे में 975/625 व 976/625 बताया है के उत्तर, पूर्व व पश्चिम में कोई मुस्लिम परिवार नहीं है। खसारा नम्बर 976/625 में से प्रार्थीयान जो कि खसरा नं0 553 के खातेदार हैं का रास्ता है व इसी से होकर प्रार्थीयान व उनके पूर्वज करीब 50 वर्षों से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं एवं दक्षिण में वन भूमि है। केवल सरपंच के आवेदन पत्र पर राजनैतिक रंजिश के तहत कब्रिस्तान हेतु आंवटन की बात कही है उक्त सरपंच जी के द्वारा कभी भी कोई भूमि अन्य समाज के लिए शमशान के लिए कोई भूमि आंवटन की कार्यवाही नहीं की है ऐसी स्थिति में द्वेषता से करवाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आंवटन आदेश निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी न थी सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का दिनांक 20.12.2021 को मौके पर आये व सीमाज्ञान की कार्यवाही करने लगे तो पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान करने आये व जिला कलक्टर के कार्यालय में जानकारी की तो उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 22.12.2021 ई0 को हुई तो अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जिला कलक्टर सीकर ने तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी सीकर की अभिशंषा एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.10 (3) राज–6/2001 दिनांक 26.06.13 के अंतर्गत ग्राम बाजौर तहसील सीकर स्थित भूमि ख0नं0 625 रकबा 1.02 है0 किस्म सिवायचक (गै0मु0 टीबा) में से 0.51 है0 भूमि कब्रिस्तान हेतु ग्राम पंचायत, बाजौर को राज0 भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 92 के अंतर्गत आरक्षित कर कब्रिस्तान भूमि पर एक वर्ष की अवधि में चार दिवारी निर्माण किये जाने की शर्त पर तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में पेड–पौधे आदि लगाकर उसका बतौर कब्रिस्तान विकास करने की शर्त पर ग्राम पंचायत, बाजौर को सुपुर्द किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के आदेश दिये गये हैं, जो कि पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी, सीकर की अभिशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

विशिष्ट संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर सीकर ने तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी सीकर की अभिशंषा एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.10 (3) राज–6/2001 दिनांक 26.06.13 के अंतर्गत ग्राम बाजौर तहसील सीकर स्थित भूमि ख0नं0 625 रकबा 1.02 है0 किस्म सिवायचक (गै0मु0 टीबा) में से 0.51 है0 भूमि



Scanned by CamScanner

कब्रिस्तान हेतु ग्राम पंचायत, बाजौर को राज0 भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 92 के अंतर्गत आरक्षित कर कब्रिस्तान भूमि पर एक वर्ष की अवधि में चार दिवारी निर्माण किये जाने की शर्त पर तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में पेड–पौधे आदि लगाकर उसका बतौर कब्रिस्तान विकास करने की शर्त पर ग्राम पंचायत, बाजौर को सुपुर्द किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के आदेश दिये गये जो कि पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी सीकर की अभिशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। जिसके संबंध में किसी प्रकार के एतराज या उज्रात की लोकल स्टेण्डाई अपीलांट को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2013 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर दिनांक 17.12.2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( डॉ. गिरीश पाराशर )
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner